"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/203/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2006- भाद्र 10, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

क्रमांक 11179/288/21-अ/प्रारूपण/06. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-08-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 26 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2006

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होना माना जावेगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल्य अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 2 में .—

(1) खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ड) "आगत कर" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, धारा 8 के अधीन, विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर कर का संदाय करने का दायी है, कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम."

(2) खण्ड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ब) किसी कालावधि के लिये किसी व्यापारी के संबंध में "कर योग्य कुल राशि." से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी की कुल राशि का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे :—

(एक) धारा 15 या धारा 15-ख के अधीन करमुक्त घोषित किये गये माल का विक्रय मूल्य,

(दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में हो,

(तीन) धारा 8 के अधीन कर के रूप में वसूल की गई राशि, अथवा वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है,—

$$\frac{\text{कर की दर x विक्रय मूल्य का योग}}{\text{100 + कर की दर}}$$

परन्तु, उपर्युक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं की जावेगी यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर की रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल की जाकर विक्रय मूल्य में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो,

स्पष्टीकरण:— जहां किसी व्यापारी की कुल राशि भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां कर की भिन्न-भिन्न दर से संदायी कुल राशि के भाग के संबंध में पृथक से सूत्र लागू किया जावेगा."

(3) खण्ड (भ) में शब्द तथा अंक "भाग-3 तथा 4" के स्थान पर "भाग-3" प्रतिस्थापित किया जाय तथा शब्द तथा अंक "खण्ड (दो) के", का लोप किया जाय.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन.

"अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल पर कर ऐसी दर से जो उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उद्‌गृहीत किया जायेगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिये दायी व्यापारी की करयोग्य कुल राशि पर उद्‌गृहीत किया जायेगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में ,— धारा 9 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द एवं अंक "अनुसूची-3" के पूर्व शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 3 और/या" अंतःस्थापित किया जाय.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) एवं उसके पश्चात्‌वर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ग) ऐसा माल जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में वर्णित है और अनुसूची-3 में वर्णित नहीं है, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्, विनिर्मित माल छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है.

और ऐसा कर,

(एक) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, और

(दो) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से या अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, जो भी कम हो,

उदगृहीत किया जाएगा."

स्पष्टीकरण :— अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कर की दर वह दर होगी, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे कर की तारीख को कर उद्‌गृहीत किया गया होता.

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "जो पके अन्न का निर्माण करता है" के पश्चात् शब्द "और ऐसे माल का राज्य के भीतर विक्रय करता है" अंतःस्थापित किये जाय और जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "खण्ड (एक) के" आया हो का लोप किया जाय. धारा 10 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में ,— धारा 13 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,-

(क) (i) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिये या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, और

(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रय करता है, और

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची-1 और/ या अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है,

तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणप्रत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,-

(1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में, जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या

(2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा धारित स्टाक के संबंध में आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा."

(2) उपधारा (2) में शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के पश्चात् शब्द एवं अंक "के भाग 1, 2 तथा 4" अंतःस्थापित किया ः

(3) उपधारा (3) में शब्द एवं अंक "उपधारा (2)" के पश्चात् शब्द एवं अंक "और धारा 73" अंतःस्थापित किया जाय.

(4) उपधारा (6) में वर्तमान खण्ड (चार) को खण्ड (पांच) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न खण्ड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(चार) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवसायियों से क्रय किये गये माल के संबंध में"

(5). उपधारा (7) में शब्द एवं अंक "खण्ड (दो) के" का लोप किया जाय.

7. मूल अधिनियम की धारा 21 में,- धारा 21 का संशोधन.

(1) उपधारा (3) में शब्द "के ठीक आगामी वर्ष के दौरान" के स्थान पर शब्द "से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) उपधारा (7) के खण्ड (एक) तथा (दो) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाय.

(3) उपधारा (7) के परन्तुक (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(क) जब धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों को या किसी सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए नवीन कर निर्धारण किया जाना है, तब ऐसा आदेश,-

(एक) धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों के आदेश दिनांक से, और

(दो) किसी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण/पुनःकरनिर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ करने के दिनांक से,

एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के भीतर किया जायेगा.

8. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाय. धारा 45 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्न धारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात् :— धारा 64-क का अंतःस्थापन.

"64-क अपराधों का शमन- ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, आयुक्त या तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि आयुक्त अवधारित करे, भुगतान करने पर, उस अपराध के शमन की अनुज्ञा दे सकेगा.

परन्तु जहां अपराध धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन अपराध है, और कर की रकम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया होता, पांच सौ रुपये से अधिक है, वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगने से अधिक न हो. शमन पश्चात् कथित कार्यवाही समाप्त हो जावेगी.

धारा 69 का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में शब्द "विक्रय कर" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 71 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (चार) का लोप किया जाय.

धारा 72 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 72 के परन्तुक के खण्ड (चार) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 73 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 73 में ,—

(1) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि धारा 10 के प्रावधानों के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके द्वारा स्टाक में धारित माल पर आगत कर रिबेट का न तो दावा किया जा सकेगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा."

(2) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् ,—

"इस अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय जो इस अधिनियम के अर्थ में करदत्त माल है इस अधिनियम द्वारा निरसित है, उक्त तारीख को अथवा इसके पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं होगा."

अनुसूची-2 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 में ,—

(1) भाग 1, 2 तथा 4 में कॉलम (4) का लोप लिया जाय तथा कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक "धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" प्रतिस्थापित किये जायं.

(2) भाग 3 में कॉलम (3) का लोप किया जाय तथा कॉलम (4) को कॉलम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय. इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक "धारा 8 (दो) के

अधीन कर की दर (प्रतिशत)'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)'' प्रतिस्थापित किये जायं.

(3) भाग 4 की प्रविष्टि क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक ''समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-1, 2 तथा 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं'' प्रतिस्थापित किये जायें.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

क्रमांक 11179/288/21-अ/प्रारूपण/06. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 26 of 2006)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act further to amend Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty seventh year of the Republic of India as follows .–

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2006 (No. of 2006). **Short title and Commencement.**

(2) It shall be deemed to have come in to force with effect from 1st April, 2006.

2. In section 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) here in after referred as Principal Act,- **Amendment of Section 2**

(1) For clause (m) the following shall be substituted, namely :–

"(m) "Input tax" means an amount paid or payable by way of tax under section 8 by a registered dealer in respect of the purchase of any goods; specified in parts I, II and IV of schedule II, to a selling registered dealer who is liable to pay tax on the sale of such goods."

(2) For clause (w) the following shall be substituted, namely,-

"(w) "Taxable turnover" in relation to a dealer for any period means that part of dealer's turnover which remains after deduction therefrom-

(i) the sale price of goods declared tax free under section 15 or under section 15-B,

(ii) the sale price of such goods which are in the nature of tax paid goods in the hands of such dealer,

(iii) the amount collected by way of tax under section 8 or the amount arrived at by applying the following formula :—

$$\frac{\text{rate of tax x aggregate of sale prices}}{\text{100 +rate of tax}}$$

Provided that, no deduction on the basis of above formula shall be made if the amount of tax collected by a registered dealer in accordance with the provisions of the Act, has been otherwise deducted from the aggregate of sale prices;'.

Explanation - where the turnover of a dealer is taxable at different rate, the formula shall be applied separately in respect of such part of the turnover liable to a different rate of tax;"

(3) In clause (x) for the words and figures "parts III and IV" the word and figure "part III" shall be substituted and the words and figure "clause (ii) of " shall be omitted.

Amendment of Section 8. 3. For section 8 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"There shall be levied on goods specified in Schedule II, a tax at the rate mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof; and such tax shall be levied on the taxable turnover of a dealer liable to pay tax under the Act."

Amendment of Section 9. 4. In section 9 of the Principal Act,-

(1) In clause (b) of sub-section (1) before the word and figure "schedule III" the words and figures "part III of Schedule II and / or" shall be inserted.

(2) For clause (c) of sub-section (1) and subsequent paragraphs thereafter, the following shall be substituted, namely :–

"(c) such goods covered by part I, II and IV of schedule II and not covered by schedule III, after use or consumption in the manufacture of any goods specified in schedule II, the manufactured goods are disposed of otherwise than by way of sale in the state of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

and such tax shall be levied,-

(i) in respect of goods referred to in clauses (a) and (b) at the rate specified in column (3) of schedule II, and

(ii) in respect of goods referred to in clause (c) at 4% or at the rate specified in column (3) of schedule II whichever is lower.

Explanation:- The rate of tax specified in schedule II shall be the rate at which tax would have been levied on the sale of such goods within the State on the date of such purchase."

5. In clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the Principal Act, after the words "who manufacture cooked food" the words "and sells such goods within the state" shall be inserted and wherever words and figure "clause (1) of " occur shall be omitted. Amendment of Section 10.

6. In section 13 of the Principal Act,- Amendment of Section 13.

(1) For sub-section (1) the following shall be substituted, namely :-

"(1) Subject to the provisions of sub-section (5) and such restrictions and conditions as may be prescribed, a rebate of input tax as provided in this section shall be claimed by or be allowed to a registered dealer, in the circumstances specified below,-

(a) (i) when a registered dealer purchases any goods specified in parts I, II and IV of schedule II, within the State of Chhattisgarh from another such dealer for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, or for sale outside the state by way of stock transfer after payment to him of input tax, and

(ii) When a registered dealer purchases any goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in Schedule III within the state of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of input tax, for use as capital goods in the course of business within the State of Chhattisgarh, and

(b) When a registered dealer purchases any goods including capital goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in schedule III within the State of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of input tax, for use or consumption of such goods for / in the manufacture or for / in mining in the state of any goods specified in schedule II for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce or for sale outside the state by way of stock transfer and of any goods specified in schedule I and / or schedule II for sale in the course of export out of the territory of India, or for sale to a registered dealer in Special Economic Zone as per the provisions of clause (iv) of sub-section (1) of section 38,

he shall claim or be allowed, input tax rebate of such amount of tax, in such manner and within such period as may be prescribed.

(c) Where a dealer makes an application for grant of a registration certificate under clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of section 16 on or after the commencement of the Act, he shall in respect of,-

(i) Goods specified in parts I, II and IV of schedule II purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh after payment to him of input tax for the purpose specified in clause (a); or

(ii) goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in schedule III, purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh after payment of input tax for the purpose specified in clause (b),

and held in stock by him on the date of validity of the registration certificate issued to him under clause (a) of sub-section (2) of section 16, claim or be allowed input tax rebate of such amount of tax in such manner and within such period as may be prescribed.

(2) In sub-section (2) after the words "goods specified in" the words and figures "parts I, II and IV of " shall be inserted.

(3) In sub-section (3) after the words and figure "sub-section (2)" the words and figure "and section 73 " shall be inserted.

(4) In sub-section (6), the existing clause (iv) shall be renumbered as clause (v) and after clause (iii) the following clause shall be inserted, namely, -

"(iv) in respect of goods purchased from a dealer who opts for the composition of tax under the provisions of section 10."

(5) In sub-section (7) the words and figure "clause (ii) of " shall be omitted.

Amendment of Section 21.

7. In section 21 to the Principal Act, —

(1) In sub-section (3) for the words "during the year immediately following" the words "within one calendar year from" shall be substituted.

(2) In clauses (i) and (ii) of sub-section (7) for the word "one" the word "two" shall be substituted.

(3). For proviso (a) to sub-section (7) the following shall be substituted;-

"(a) Where a fresh assessment has to be made to give effect to any finding or direction contained in any order under sections 48, 49 and 55 or to any order or judgment of the Civil court, High court, Supreme court; such assessment shall be made within one calendar year :-

(i) from the date of the order under section 48, 49 and 55 containing any finding or direction, and

(ii) from the date of initiation of assessment / re-assessment proceeding in pursuance to the order, or judgment of Civil Court, High Court or Supreme Court, and".

Amendment of Section 45.

8. In sub-sections (1) and (2) of section 45 of the Principal Act, for the word "Board" the word "Tribunal" shall be substituted.